



दिल्ली सरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु-मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली: 110002
☎ 23317926, 23724561, 23317520, फ़ैक्स 23766924



Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वेबसाइट: <http://pwd.delhigovt.nic.in>
ई-मेल: pwdhqdelhi@gmail.com/dppwdhqdelhi@gmail.com

स: प्रमुख अभि./लो.नि.वि./कार्य/टी.वाई.डी.बी./ 5508

दिनांक: 15.11.2017

सेवा मे

1. मुख्य अभियंता (परियोजना) लो.नि.वि. नौवां तल, एम.एस.ओ. भवन, नई दिल्ली-02 ।
2. मुख्य अभियंता (पूर्व) अनुरक्षण, लो.नि.वि. तीसरा तल, एम.एस.ओ. भवन, नई दिल्ली-02 ।

विषय:- Regarding the year wise/assembly wise/project details of expenditure incurred under TYADB from 2012-13 to 2016-17.

- संदर्भ:-
1. शहरी विकास विभाग का पत्र संख्या 18(490)/A/UD/Plg/TYADB/54th Meeting/2017-18/858-863 दिनांक 30.08.2017.
 2. शहरी विकास विभाग का पत्र संख्या 18(490)/A/UD/Plg/TYADB/54th Meeting/2017-18/959-964 दिनांक 21.09.2017.
 3. इस कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या W/TYDB/6156 दिनांक 05.09.2017.
 4. इस कार्यालय का पत्र सं. प्रमुख अभि/लो.नि.वि./कार्य/टी.वाई.डी.बी./4756 दिनांक 06.10.2017
 5. शहरी विकास विभाग का पत्र सं. एफ.18(490)/ए/यू.डी/पी.एल.जी./टी.वाई.ए.डी.बी./54th मीटिंग/2017-18/1149-1154 दिनांक 24.10.2017.
 6. इस कार्यालय का पत्र संख्या प्रमुख अभि./लो.नि.वि./कार्य/टी.वाई.डी.बी./5259 दिनांक 01.11.2017.
 7. शहरी विभाग का पत्र संख्या एफ(490)/A/UD/Plg/TYADB/54th Meeting/2017-18/1227-1232 दिनांक 09.11.2017.

उपरोक्त संबंध मे वांछित सूचना अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वांछित सूचना अविलम्ब उपनिदेशक (योजना), शहरी विभाग, विभाग 10वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 को भेजने का कष्ट करे और सूचना की एक प्रतिलिपि लो.नि.वि. सचिवालय एवं इस कार्यालय को भी भिजवाने की व्यवस्था करे ।

इस संबंध में दिल्ली सचिवालय द्वारा बार-बार अनुस्मारक आ रहे है ।

यह पत्र निदेशक (कार्य एवं स्थापना) की अनुमति से जारी किया जाता है ।

(अजय रिछारिया)

उप निदेशक (कार्य)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य अभियंता (परियोजना), लो.नि.वि. (दि.स.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रधान मुख्य अभियंता (अनुरक्षण) लो.नि.वि. (दि.स.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- ✓ 3. सभी संबंधित अधीक्षण अभियंताओ / कार्यपालक अभियंताओ को त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु (लो.नि.वि. वेबसाइट के माध्यम से) ।

उप निदेशक (कार्य)